

2018/01436

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी न्याय आपके द्वार-2018 केम्प भगवानपुरा

कानाराम बनाम सरकार RCMS NO-----

किस्म मुकदमा 136 आरएल आर एक्ट नं .....646..... सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
18.06.2018	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी कानाराम पुत्र लच्छाराम ने अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर एक्ट के तहत विप्रार्थी के विरुद्ध राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प भगवानपुरा तहसील पचपदरा मे पेश किया जो विविध दर्ज रजिस्टर हो ।</p> <p>प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया है कि उसका नाम राजस्व रेकर्ड मौजा भगवानपुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 के खाता संख्या 06 में अशुद्ध नाम करनाराम पुत्र लच्छाराम दर्ज है। जिसको कानाराम पुत्र लच्छाराम राजस्व रेकर्ड में शुद्ध व सही दर्ज करने का निवेदन किया है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हल्का पटवारी चिलानाडी तथा उप तहसीलदार पाटोदी की प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व रेकर्ड मौजा भगवानपुरा की जमाबन्दी खाता संख्या 06 मे दर्ज अशुद्ध नाम करनाराम पुत्र लच्छाराम की जगह शुद्ध नाम कानाराम पुत्र लच्छाराम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते हैं।</p> <p>पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।</p>	

(भागीरथ सम्)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट केम्प-2018

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

बालोतरा केम्प.....  
भगवानपुरा

राजस्थान सरकार

जालंधर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर,

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प भगवानपुरा

-:आदेश:- 646/2018  
जालंधर

जालंधर

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पट्टासीने व भूअनि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	भगवानपुरा	06	करनाराज कल नटखाराज	करनाराज कल नटखाराज

(पीठासीन अधिकारी)  
(भगवानपुरा)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
जालंधर कैम्प

दिनांक :- 18-6-18

क्रमांक :- 1154-1155

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(पीठासीन अधिकारी)  
लोक अदालत  
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर  
जालंधर कैम्प